न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी श्री मंगलाराम पूनिया, आर.ए.एस.

Appeal 223 RTA 2023-027 (GCMS 2023-62)

1. ईस्माईल पुत्र हकीम खां
2. नजीर खां पुत्र हकीम खां
3. आदम खां पुत्र हकीम खां
4. सरादीन पुत्र हकीम खां
5. मोहम्मद सरीफ पुत्र हकीम खां
6. जमाली पुत्री हकीम खां
7. रोमत पुत्र हकीम खां
8. सलमान पुत्र हकीम खां
9. उस्मान पुत्र हकीम खां के कायममुकामान-
   9.1. मीमो पत्नी उस्मान
   9.2. बरियाम पुत्र उस्मान
   9.3. हबीब पुत्र उस्मान
   9.4. असरद पुत्र उस्मान

सभी जाति मुसलमान, निवासीगण भैयों की ढाणी
तहसील लोहावट, जिला जोधपुर

अपीलाण्ट्स...

ब

ना

म

1. शेरेखां पुत्र मेहताब खां के कायममुकामान-
   1.1. आलम खां पुत्र शेरेखां
   1.2. अहमद खां पुत्र शेरेखां
   1.3. नसरदीन पुत्र शेरेखां
   1.4. इलमदीन पुत्र शेरेखां के कायममुकामान
      1.4.1. आकुब पुत्र इलमदीन
      1.4.2. मुख्त्यार पुत्र इलमदीन
      1.4.3. अमनी पत्नी इलमदीन
   1.5. जमी पुत्री शेरेखां
   1.6. सखीना पुत्री शेरेखां
   1.7. सुरमा पुत्री शेरेखां
2. लाल खां पुत्र मेहताब खां के कायममुकामान
   2.1. सुलतान खां पुत्र लाल खां
   2.2. नेने खां पुत्र लाल खां
   2.3. सिकन्दर खां पुत्र लाल खां
   2.4. जहुर खातुन पुत्री लाल खां
   2.5. एमणो पुत्री लाल खां
   2.6. असियत खातुन पुत्री लाल खां
   2.7. जैनत पुत्री लाल खां
3. फाजल खां पुत्र मेहताब खां

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

4. निहालदीन पुत्र मेहताब के कायममुकामान
   4.1. सालेमोहम्मद पुत्र निहालदीन
   4.2. हमीद खां पुत्र निहालदीन
   4.3. रउफ खां पुत्र निहालदीन
   4.4. सायर खां पुत्र निहालदीन के कायममुकामान
      4.4.1. सुफिया पत्नी सायर खां
      4.4.2. मेहबुब पुत्र सायर खां
      4.4.3. मसरत पुत्र सायर खां
   4.5. सखीना पुत्र निहालदीन
   4.6. जितन पुत्री निहालदीन
   4.7. सुफिया पुत्री निहालदीन
   4.8. रोशन पुत्री निहालदीन

   सभी जाति मुसलमान, निवासीगण मस्जिद वाली ढाणी
   तहसील देचू, जिला जोधपुर
5. गफुर खां पुत्र कायमदीन
6. अब्दुल करीम पुत्र कायमदीन
7. इलियास पुत्र कायमदीन के कायममुकामान
   7.1. इस्लाम पुत्र इलियास
   7.2. मुमताज पुत्र इलियास
   7.3. हाजु पत्नी इलियास
8. एमणो पत्नी कायमदीन
9. रहमत पुत्री कायमदीन
10. मीमो पत्नी कायमदीन
11. नुरा पुत्र जमाल के कायममुकामान-
   11.1. अब्दुल रहीम पुत्र नुरा
   11.2. इलियास पुत्र नुरा
   11.3. नसरदीन पुत्र नुरा
   11.4. सुरमों पत्नी नुरा

   सभी जाति मुसलमान, निवासीगण भैयों की ढाणी
   तहसील लोहावट, जिला जोधपुर
12. शाखा प्रबन्धक
   यूको बैंक शाखा पीलवा

रेस्पो. ...

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 बरखिलाफ निर्णय एवं डिक्री सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी देचू दिनांक 15 दिसम्बर 2022 राजस्व वाद संख्या 127/2022 (628/2020) अनवान शेरेखां के का.मु. बनाम कायमदीन के का.मु. व अन्य

------- 0 -------

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

उपस्थित-
श्री गुलाबसिंह चम्पावत, अधिवक्ता-अपीलाण्ट्स
श्री पूनाराम विश्नोई, अधिवक्ता-रेस्पो.

नि र्ण य

दिनांक : 28 जुलाई 2023

अपीलाण्ट्स ने यह अपील न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, देचू द्वारा राजस्व वाद संख्या 127/2022 (628/2020) अनवान शेरेखां के कायममुकामान आलम खां इत्यादि बनाम कायमदीन के कायममुकामान गफुर खां व अन्य में पारित निर्णय एवं डिकी दिनांक 15 दिसम्बर 2022 के खिलाफ राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 223 के तहत अदालत हाजा के समक्ष दिनांक 25 जनवरी 2023 को प्रस्तुत की है।

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि विचारण न्यायालय के समक्ष रेस्पो.-वादीगण शेरेखां, लालखां व फाजल खां ने राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 88. 89. 91. 92ए व 188 के तहत एक राजस्व वाद म्युटेशन संख्या 110 व उसकी बिनाय पर आधारित पश्चातवर्ती तमाम म्युटेशन संख्या 117 मौजा कुसलावा व 129 मौजा भईयों की ढाणी खारिज घोषित किये जाकर भाईयों की ढाणी स्थित आराजी खसरा संख्या 76 रकबा 35 बीघा 18 बिस्वा बाबत वादीगण के पक्ष में खातेदारी अधिकारों की घोषणा किये जाने, तदनुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किये जाने एवं स्थायी निषेधाज्ञा जारी किये जाने का निवेदन किया। विचारण न्यायालय द्वारा उक्त वाद जरिये निर्णय एवं डिकी दिनांक 09 अप्रेल 2010 को स्वीकार कर लिया गया। जिसके खिलाफ अदालत हाजा के समक्ष अपील संख्या 2010-041 सलमान बनाम शेरेखां आदि पेश की गयी, जो अदालत हाजा द्वारा दिनांक 29 अक्तूबर 2010 को निस्तारित करते हुए प्रकरण विचारण

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

न्यायालय को रिमाण्ड किया गया। जिसके अनुसरण में विचारण न्यायालय द्वारा कार्यवाही करते हुए अपीलाधीन निर्णय एवं डिकी दिनांक 15 दिसम्बर 2022 पारित किये गये। जिससे व्यथित होकर अपीलाण्ट्स ने आलौच्य अपील प्रस्तुत की है।

बहस सुनी गयी। अधिवक्ता-अपीलाण्ट्स ने मामले के तथ्यों एवं अपील मीमों में वर्णित बिन्दुओं को दोहराते हुए कथन किया कि वादग्रस्त आराजी खसरा संख्या 76 रकबा 35 बीघा 18 बिस्वा वाके मौजा कुसलावा की खातेदारी कायमदीन, नूरा पिसरान जमाल खां कौम सिपाही के नाम दर्ज थी, जो उनके द्वारा जरिये पंजीबद्ध विकय विलेख दिनांक 08 जून 1970 को बेचान किये जाने पर म्युटेशन संख्या 117 दिनांक 25 अगस्त 1970 ग्राम पंचायत कुसलावा द्वारा स्वीकृत किया गया जिसके आधार पर राजस्व रिकार्ड में केता हकीम खां पुत्र रहीम खां का नाम बतौर खातेदार दर्ज हुआ। तब से आदिनांक तक उक्त आराजी पर केता हकीम खां पुत्र रहीम खां तथा उसके देहान्त के बाद उसके वारिसान अपीलाण्ट्स का कब्जा बहैसियत खातेदार काश्तकार चला आ रहा है। पंजीबद्ध विकय विलेख दिनांक 08 जून 1970 को आदिनांक तक विधिवत सक्षम न्यायालय के समक्ष चुनौती दी जाकर निरस्त नहीं करवाया गया है। पंजीबद्ध विकय विलेख को निरस्त कराने की अवधि तीन साल होती है, इसी प्रकार निजी भूमि के संबंध में एडवर्स पजेशन की समय सीमा भी 12 साल ही है, जबकि विगत 52 सालों से वादग्रस्त भूमि पर अपीलाण्ट्स का कब्जा बतौर खातेदार काश्तकार निरन्तर चला आ रहा है। समय-समय पर वादग्रस्त आराजी का लगान भी अपीलाण्ट्स की ओर से ही चुकाया जा रहा है, मौके पर वादग्रस्त आराजी की तारबंदी की हुई है और अपीलाण्ट्स का रहवासीय झौपडा, पानी का टांका एवं पडवा आदि बने हुए है। मगर विचारण न्यायालय द्वारा इन सभी तथ्यों एवं अदालत हाजा द्वारा पूर्व

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

निर्णय दिनांक 29 अक्तूबर 2010 के जरिये दिये गये निर्देशों को नजरअंदाज करते हुए अपीलाधीन निर्णय एवं डिकी पारित कर दिये गये, जो न्यायोचित एवं विधिसम्मतः नहीं है। मूल वाद न्यायालय सहायक कलेक्टर फलोदी में प्रस्तुत हुआ, कालान्तर में क्षेत्राधिकार के आधार पर मामला नवसृजित न्यायालय सहायक कलेक्टर लोहावट में अंतरित हुआ, जो दर्ज किये जाने के बाद अपीलाण्ट्स को जारी नोटिस तामील ही नहीं हुए। इसी प्रकार दिनांक 08 जून 2022 को दावा न्यायालय सहायक कलेक्टर लोहावट से न्यायालय सहायक कलेक्टर देचू में अंतरित होने पर भी अपीलाण्ट्स-प्रतिवादीगण पर कोई तामील नहीं हुई। बिना किसी प्रकार की तामील कराये प्रतिवादीगण-अपीलाण्ट्स की अनुपस्थिति में ही आदेशिकाओं में जबाबदावा का अवसर/अंतिम अवसर दिया जाना अंकित करते हुए जबाबदावा का अवसर बंद कर दिया गया और प्रतिवादीगण-अपीलाण्ट्स के खिलाफ इकतरफा कार्यवाही अमल में लायी जाकर दिनांक 15 दिसम्बर 2022 को अधिवक्ता-वादी की बहस सुनी जाकर उसी दिन अपीलाधीन निर्णय एवं डिकी पारित कर दिये गये। इस प्रकार अदालत हाजा द्वारा दिये गये निर्देशों की पालना किये बिना ही विचारण न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय एवं डिकी पारित किये गये, जो खारिज किये जावे। अंत में अधिवक्ता-अपीलाण्ट्स ने नकल जमाबंदी गांव धाराबागापुराम पटवार क्षेत्र कुशलावा संवत 2067-2070 की छायाप्रति तथा 2008(1) आरआरटी 286 व 2023(1) आरआरटी 415 की ओर न्यायालय का ध्यान आकर्षित करते हुए अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जाकर वांछित अनुतोष प्रदान किये जाने का निवेदन किया।

जबाब में अधिवक्ता-रेस्पो. ने जाहिर किया कि पूर्व में ग्राम कुसलावा स्थित आराजी खसरा संख्या 76 रकबा 107 बीघा का पर्चा लगान वक्त सेटलमेण्ट मेहताब खां के नाम से जारी हुआ, मेहताब

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

खां ने उक्त आराजी में से 49 बीघा 02 बिस्वा भूमि अपने जीवनकाल में बेचान कर दी, बकाया बची 57 बीघा 18 बिस्वा भूमि ताजिन्दगी मेहताब खां के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज रही, मेहताब खां संवत 2023 में फौत हो गया, और उसके वारिसान वादीगण शेरेखां, लाल खां व फाजल खां तथा प्रतिवादी संख्या 5 निहालदीन का ही वादग्रस्त आराजी पर आदिनांक कब्जा काश्त चला आ रहा है। अपने वाद में वादीगण ने यह भी जाहिर किया कि वर्तमान में ग्राम कुसलावा में से नया राजस्व ग्राम भइयों की ढाणी सृजित होने पर उक्त आराजी नये राजस्व ग्राम की सीमा में आ गयी, मेहबात खां के चारो वारिसान की मौके पर चार अलग-अलग रहवासीय ढाणिया बनी हुई है जिनमें वे अपने-अपने परिवार सहित निवास करते है और 57 बीघा 18 बिस्वा भूमि पर हर साल काश्त कर पैदावार प्राप्त करते है। प्रतिवादी संख्या एक कायमदीन पुत्र जमाल खां व प्रतिवादी संख्या दो नुरा पुत्र जमाल खां के वारिसान का उक्त आराजी में कोई हक-हकूक नहीं है, न ही वे मूल खातेदार मेहताब खां के कानूनी वारिस है किन्तु फिर भी मूल खातेदार मेहताब खां के देहान्त के बाद प्रतिवादीगण संख्या एक व दो ने पटवारी हळका एवं सरपंच से दुराभिसंधि कर मेहताबखां की खातेदारी भूमि खसरा संख्या 76 रकबा 57 बीघा 18 बिस्वा में से 35 बीघा 18 बिस्वा भूमि जरिये म्युटेशन संख्या 110 अपने नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा ली, जबकि एक अन्य म्युटेशन संख्या 189 मौजा कुसलावा वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 5 के नाम भी सरपंच कुसलावा द्वारा स्वीकृत किया गया है, इस कारण निराधार एवं विधि-विरुद्ध स्वीकृत म्युटेशन संख्या 110 के आधार पर प्रतिवादीगण संख्या एक व दो को वादग्रस्त आराजी बाबत कोई अधिकार अर्जित नहीं होते है, फिर भी उन्होने वादग्रस्त आराजी खसरा संख्या 76 की 35 बीघा 18 बिस्वा भूमि जरिये पंजीबद्ध विकय विलेख दिनांक 27 मई 1970 को

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

प्रतिवादी संख्या तीन हकीम खां पुत्र रहीम खां को बेचान कर दी और उक्त बेचान के आधार जरिये म्युटेशन संख्या 117 राजस्व रिकार्ड में अंमल दरामद करवा लिया और प्रतिवादी संख्या 4 के पास भूमि का रहन रख कर्जा प्राप्त कर लिया। मौके पर निरन्तर वादीगण-रेस्पो. का कब्जा कायम रहने से इन तथ्यों बाबत समुचित समय में कोई जानकारी नहीं हो पायी, जानकारी होने पर विचारण न्यायालय के समक्ष दावा पेश किया गया। बहस जारी रखते हुए अधिवक्ता-रेस्पो. ने प्रपत्र तीन के संलग्न प्रस्तुत नकल खतौनी बंदोबस्त संवत 2013 खसरा संख्या 76 ग्राम कुशलावा, जमाबंदी संवत 2018-2021, फौतेदगी म्युटेशन सख्या 110 एवं अपीलाधीन निर्णय एवं डिकी के अनुसरण में स्वीकृत म्युटेशन संख्या 193 की ओर न्यायालय का ध्यान आकर्षित किया और 2018-19 (पूरक) आरआरटी 553 उद्धरित करते हुए कथन किया कि खातेदारी अधिकारों की घोषणा हेतु वाद के संबंध में मियाद का बिन्दु लागू नहीं होता है। इसी प्रकार 2018-19 (पूरक) आरआरटी 200 के संदर्भ से अधिवक्ता-रेस्पो. ने कथन किया कि अभिलेख पर समुचित साक्ष्य उपलब्ध होने की स्थिति में अपीलीय न्यायालय द्वारा प्रकरण विचारण न्यायालय को रिमाण्ड किया जाना न्यायोचित नहीं है। अंत में अधिवक्ता-रेस्पो. ने अपील अपीलाण्ट्स सारहीन होने से तदनुसार खारिज किये जाने का निवेदन किया।

बहस पर मनन किया गया एवं उपलब्ध अभिलेख का आद्योपान्त गम्भीरतापूर्वक अध्ययन किया गया। जिससे प्रकट है कि पूर्व में अदालत हाजा द्वारा 29 अक्तूबर 2010 को प्रकरण विचारण न्यायालय को प्रतिवादीगण को जबाबदावे का पुनः अवसर प्रदान किया जाकर तदनुसार तनकियात कायम किये जाने और पक्षकारान की साक्ष्य सुनवाई के बाद मूल वाद में न्यायोचित एवं विधिसम्मतः निर्णय पारित किये जाने के निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया गया था। जिसके

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

अनुसरण में विचारण न्यायालय द्वारा दिनांक 22 नवम्बर 2010 को मूल वाद में पुनः कार्यवाही आरम्भ करते हुए पक्षकारान को तलब कियां गया। दिनांक 10 जनवरी 2011 को विचारण न्यायालय के समक्ष वादी-पक्ष की ओर से अधिवक्ता श्री शम्भुसिंह उपस्थित हुए तथा प्रतिवादी संख्या चार की ओर से अधिवक्ता श्री महिपाल कोठारी ने वकालतनामा पेश किया। विचारण न्यायालय की पत्रावली में प्रतिवादीगण संख्या 3/1 से 3/10 (अपीलाण्ट्स) की ओर से दिनांक 29 फरवरी 2012 प्रस्तुत प्रार्थनापत्र अन्तर्गत आदेश 22 नियम 10 सीपीसी (पेज संख्या 124) उपलब्ध है जिससे प्रकट होता है कि विचारण न्यायालय सहायक कलेक्टर फलोदी के समक्ष अपीलाण्ट्स उपस्थित हुए है। इसके बाद दिनांक 30 अप्रेल 2018 को क्षेत्राधिकार के आधार पर मामला नवसृजित न्यायालय सहायक कलेक्टर लोहावट में अंतरित हुआ। किन्तु तब तक प्रतिवादीगण-अपीलाण्ट्स की ओर से कोई जबाब न्यायालय सहायक कलेक्टर फलोदी के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया। प्रकरण न्यायालय सहायक कलेक्टर लोहावट के समक्ष विचाराधीन रहने के दौरान प्रतिवादी हकीम खां के कायममुकामान (वर्तमान अपील में अपीलाण्ट्स) की ओर से अधिवक्ता श्री सुमेरसिंह द्वारा वकालतनामा दिनांक 10 फरवरी 2022 को पेश किया गया, (जो विचारण न्यायालय की पत्रावली में उपलब्ध है जिसका जिक विचारण न्यायालय की पत्रावली में उपलब्ध आदेशिका दिनांक 08 जून 2022 में किया हुआ है) मगर न्यायालय सहायक कलेक्टर लोहावट में प्रकरण विचाराधीन रहने के दौरान अपीलाण्ट्स की ओर से कोई जबाबदावा पेश नहीं किया गया। स्पष्ट है कि अदालत हाजा के निर्देशों की पालना में विचारण न्यायालय द्वारा प्रतिवादीगण-अपीलाण्ट्स को विधिवत तलब कर जबाब पेश करने एवं साक्ष्य सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किया गया, किन्तु अपीलाण्ट्स की ओर से ही कोई

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

जवाबदावा पेश कर अपना पक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया है। अतः आलौच्य अपील स्तर पर अपीलाण्ट्स द्वारा इस संबंध में आक्षेप लिया जाना सही नहीं है।

वर्तमान अपील स्तर पर अपीलाण्ट्स की ओर से वादग्रस्त आराजी खसरा संख्या 76 रकबा 35 बीघा 18 बिस्वा वाके मौजा कुसलावा की खातेदारी कायमदीन, नूरा पिसरान जमाल खां कौम सिपाही के नाम दर्ज होना, जिनके द्वारा निष्पादित पंजीबद्ध विकय विलेख दिनांक 08 जून 1970 के आधार पर म्युटेशन संख्या 117 दिनांक 25 अगस्त 1970 ग्राम पंचायत कुसलावा द्वारा स्वीकृत किया होकर राजस्व रिकार्ड में केता हकीम खां पुत्र रहीम खां का नाम बतौर खातेदार दर्ज होना एवं तब से आदिनांक तक उक्त आराजी पर केता हकीम खां पुत्र रहीम खां तथा उसके देहान्त के बाद उसके वारिसान अपीलाण्ट्स का कब्जा बहैसियत खातेदार काश्तकार होना जाहिर किया गया है। अपील स्तर पर उक्त बेचाननामा दिनांक 08 जून 1970 व अन्य दस्तावेजात की नकल पेश की गयी है। जिनका अवलोकन करने पर जमाबंदी (खेवट खतौनी) ग्राम कुशलावा संवत 2026-2029 की छायाप्रति के अनुसार आराजी खसरा संख्या 76 रकबा 35 बीघा 18 बिस्वा बारानी दोयम बाबत कॉलम संख्या 5 में श्री कायमदीन, नुरा पिसरान जमाल खां सिपाही सा. देह खातेदार म्युटेशन संख्या 110 अंकित होना पाया जाता है। विचारण न्यायालय की पत्रावली में उपलब्ध म्युटेशन संख्या 110 (प्रदर्श-4) का अवलोकन करने पर उक्त म्युटेशन वादग्रस्त आराजी के खातेदार मेहताब खां पुत्र हाजी खां सिपाही साकिन देह के देहान्त पर उसके भतीजों कायमदीन नुरा पिसरान जमाल खां के पक्ष में स्वीकृत किया जाना प्रकट होता है। इस महत्वपूर्ण विचारणीय बिन्दु बाबत अपीलाण्ट्स द्वारा कोई पुख्ता प्रमाण पेश नहीं किया गया है कि वादग्रस्त आराजी के खातेदार

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

मेहताब खां की जायन्दा संतान होते हुए उसके भतीजों अर्थात कायमदीन नुरा पिसरान जमाल खां के पक्ष में म्युटेशन स्वीकृत होने का क्या कारण रहा है। इसके अलावा दिनांक 08 जून 1970 को सब रजिस्ट्रार फलोदी में पंजीबद्ध विकय विलेख की नोटेरी से तस्दीकशुदा प्रति का अवलोकन करने पर विकेता कायमदीन नुरा पिसरान जमालखां सिपाही द्वारा अपीलाण्ट्स के पूर्वज हकीम खां के पक्ष में बेचान की गयी 35 बीघा 18 बिस्वा बारानी दोयम का खसरा नम्बर 75 अंकित किया हुआ है। यदि थोडी देर के लिए इसे लिपिकीय त्रुटि मान लिया जावे तो भी खसरा संख्या 76 रकबा 35 बीघा 18 बिस्वा भूमि बाबत कायमदीन नुरा पिसरान जमाल खां द्वारा किये गये बेचान के आधार पर केता को कोई अधिकार अर्जित होना प्रकट नहीं हेाता है क्योंकि स्वयं उक्त विकेतागण का राजस्व रिकार्ड में बतौर खातेदार नाम दर्ज होने का कोई ठोस एवं तर्कसंगत आधार स्पष्ट नहीं है। विचारण न्यायालय द्वारा इन सभी बिन्दुओं बाबत समुचित विवेचन कर अपीलाधीन निर्णय एवं डिकी दिनांक 15 दिसम्बर 2022 पारित किये गये है जो न्यायोचित एवं विधिसम्मतः पाये जाने से उनमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना न्यायोचित नहीं पाया जाता है।

अधिवक्ता-अपीलाण्ट्स ने जो नजीर 2023(1) आरआरटी 415 प्रस्तुत की, उसमें माननीय न्यायालय द्वारा धारित किया गया है कि किसी शून्य/शून्यकरणीय दस्तावेज को निरस्त करने हेतु शक्ति सिविल कोर्ट में निहित है। अदालत हाजा उक्त नजीर का सम्मान करती है किन्तु आलौच्य मामले में कायमदीन व नुरा पिसरान जमालखां का नाम वादग्रस्त भूमि बाबत राजस्व रिकार्ड में बतौर खातेदार बिना किसी पुख्ता आधार के दर्ज किया हुआ होने से उनके द्वारा निष्पादित पंजीबद्ध विकय विलेख दिनांक 08 जून 1970 प्रारम्भ से ही शून्य (वॉइड एब इनिशियों) होने के कारण उसे औपचारिक तौर पर सिविल

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

न्यायालय में चुनौती दी जाकर शून्य घोषित करवाने की आवश्यकता ही नहीं है। अतः प्रस्तुत उक्त नजीर के आधार पर अपीलाण्ट्स को किसी प्रकार की राहत प्रदान किया जाना सम्भव नहीं है।

अतः प्रस्तुत अपील अपीलाण्ट्स स्वीकार किये जाने योग्य नहीं होने से तदनुसार खारिज की जाती है और विचारण न्यायालय सहायक कलेक्टर देचू द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय एवं डिकी दिनांक 15 दिसम्बर 2022 यथावत रखे जाते है। खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करें। डिकी पर्चा जारी हो।

निर्णय आज खुले न्यायालय में सुनाया गया।

28.07.2023

(मंगलाराम पूनिया)

राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर

डिकी बसीगे अपील

अज अदालत राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर

बइजलास श्री मंगलाराम पूनिया, आर.ए.एस.

अपीलाण्ट

1. ईस्माईल पुत्र हकीम खां
2. नजीर खां पुत्र हकीम खां
3. आदम खां पुत्र हकीम खां
4. सरादीन पुत्र हकीम खां
5. मोहम्मद सरीफ पुत्र हकीम खां
6. जमाली पुत्री हकीम खां
7. रोमत पुत्र हकीम खां
8. सलमान पुत्र हकीम खां
9. उस्मान पुत्र हकीम खां के कायममुकामान-
   - 9.1. मीमो पत्नी उस्मान
   - 9.2. बरियाम पुत्र उस्मान
   - 9.3. हबीब पुत्र उस्मान
   - 9.4. असरद पुत्र उस्मान

सभी जाति मुसलमान, निवासीगण
भैयों की ढाणी
तहसील लोहावट, जिला जोधपुर

बनाम

रेस्पोडेण्ट

1. शेरेखां पुत्र मेहताब खां के कायममुकामान-
   - 1.1. आलम खां पुत्र शेरेखां
   - 1.2. अहमद खां पुत्र शेरेखां
   - 1.3. नसरदीन पुत्र शेरेखां
   - 1.4. इलमदीन पुत्र शेरेखां के कायममुकामान
     - 1.4.1. आकुब पुत्र इलमदीन
     - 1.4.2. मुख्त्यार पुत्र इलमदीन
     - 1.4.3. अमनी पत्नी इलमदीन
   - 1.5. जमी पुत्री शेरेखां
   - 1.6. सखीना पुत्री शेरेखां
   - 1.7. सुरमा पुत्री शेरेखां
2. लाल खां पुत्र मेहताब खां के कायममुकामान
   - 2.1. सुलतान खां पुत्र लाल खां
   - 2.2. नेने खां पुत्र लाल खां
   - 2.3. सिकन्दर खां पुत्र लाल खां
   - 2.4. जहुर खातुन पुत्री लाल खां
   - 2.5. एमणो पुत्री लाल खां
   - 2.6. असियत खातुन पुत्री लाल खां
   - 2.7. जैनत पुत्री लाल खां
3. फाजल खां पुत्र मेहताब खां
4. निहालदीन पुत्र मेहताब के कायममुकामान
   - 4.1. सालेमोहम्मद पुत्र निहालदीन
   - 4.2. हमीद खां पुत्र निहालदीन
   - 4.3. रउफ खां पुत्र निहालदीन
   - 4.4. सायर खां पुत्र निहालदीन के कायममुकामान
     - 4.4.1. सुफिया पत्नी सायर खां
     - 4.4.2. मेहबुब पुत्र सायर खां
     - 4.4.3. मसरत पुत्र सायर खां
   - 4.5. सखीना पुत्र निहालदीन
   - 4.6. जितन पुत्री निहालदीन
   - 4.7. सुफिया पुत्री निहालदीन
   - 4.8. रोशन पुत्री निहालदीन

सभी जाति मुसलमान,
निवासीगण मस्जिद वाली ढाणी
तहसील देचू, जिला जोधपुर

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

5. गफुर खां पुत्र कायमदीन
6. अब्दुल करीम पुत्र कायमदीन
7. इलियास पुत्र कायमदीन के कायममुकामान
    7.1. इस्लाम पुत्र इलियास
    7.2. मुमताज पुत्र इलियास
    7.3. हाजु पत्नी इलियास
8. एमणो पत्नी कायमदीन
9. रहमत पुत्री कायमदीन
10. मीमो पत्नी कायमदीन
11. नुरा पुत्र जमाल के कायममुकामान-
    11.1. अब्दुल रहीम पुत्र नुरा
    11.2. इलियास पुत्र नुरा
    11.3. नसरदीन पुत्र नुरा
    11.4. सुरमों पत्नी नुरा
    सभी जाति मुसलमान,
    निवासीगण भैयों की ढाणी
    तहसील लोहावट, जिला जोधपुर
12. शाखा प्रबन्धक
    यूको बैंक शाखा पीलवा

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 बरखिलाफ निर्णय एवं डिकी सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी देचू दिनांक 15 दिसम्बर 2022 राजस्व वाद संख्या 127/2022 (628/2020) अनवान शेरेखां के का.मु. बनाम कायमदीन के का.मु. व अन्य

------- 0 -------

दावा बाबत

यह अपील बतारीख 28 जुलाई 2023 बहाजरी अधिवक्ता श्री गुलाबसिंह चम्पावत मिनजानिब अपीलाण्ट्स एवं अधिवक्ता श्री पूनाराम विश्नोई मिनजानिब रेस्पो. उपस्थित होकर हुक्म हुआ कि प्रस्तुत अपील अपीलाण्ट्स स्वीकार किये जाने योग्य नहीं होने से तदनुसार खारिज की जाती है और विचारण न्यायालय सहायक कलेक्टर देचू द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय एवं डिकी दिनांक 15 दिसम्बर 2022 यथावत रखे जाते है। खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करें।

(खर्चा अपील हाजा का हस्ब तफसील जेल तादादी मुबलिग ---------) रूपये -------------- अदा करें। खर्चा मुकदमा मातहत का ---------- अदा करें।

बसब्त मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत हाजा तारीख 28 जुलाई 2023 को जारी किया गया।

28.07.2023

(मंगलाराम पूनिया) RAS
राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर
राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

खर्चा अपील

अपीलाण्ट	राशि	रेस्पोडेण्ट	राशि
1. स्टाम्प अपील	/	1. स्टाम्प वकलातनामा	/
2. स्टाम्प वकालतनाम		2. स्टाम्प अर्जी	
3. इजराय हुक्मनामा		3. इजराम हुक्मनामा	
4. वकील फीस बाबत		4. मेहनताना वकील	
मीजान		मीजान	

दि० 28.07.2023

(मंगलाराम पूनिया) RAS
राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर